सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 73/15 **निर्णय दिनांकः– 05.06.2018**

1. धर्मगर पुत्र दीपगर जाति गुसांई निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम शेरपुरा तहसील लूणकरनसर के खेत खसरा नम्बर 1050/678 जिसके हाल खसरा नम्बर 1663/618 में 25 बीघा भूमि दिनांक 12–01–1972 को आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से

आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि उपनिवेशन व रेवेन्यू में तब्दीली के समय आराजीराज दर्ज कर दी गई। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट की ढाणी बनी हुई है तथा अपीलांट परिवार सहित वादगत् भूमि पर निवास कर रहा है। अपीलांट उक्त आवंटन आदेश के तांबे वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट अपने पिता की आवंटित भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट प्रस्तुत वाद के जरिये नियमों के प्रावधानुसार खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकारों की धोषणा नहीं की जा सकती। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम शेरपुरा के 1050/678 जिसके हाल खसरा नम्बर 1663/618 की 25 बीघा भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित न होकर अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई थी। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के नवीनीकरण हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1663/618 पर कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र के संबंध में अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर खाली है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आराजीराज दर्ज की गई है। वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना–देना नहीं है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाके रोही ग्राम शेरपुरा तहसील लूणकरनसर के खसरा

नम्बर 1050/678 जिसके हाल खसरा नम्बर 1663/618 पैमूद हुए है की 25 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण को वाके रोही ग्राम शेरपुरा तहसील लूणकरनसरके खेत खसरा नम्बर 1050/678 तादादी 25 बीघा आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया। स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर अस्थाई काश्त आवंटन थी। उक्त आवंटन का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। यदि वादगत् भूमि पर मौके पर अपीलांट काबिज होता तो उसके विरूद्व धारा 22 के तहत कार्यवाही की जाती। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर खाली है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आराजीराज दर्ज की गई है।

(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। अपीलांट का कथन कि उसे खसरा नम्बर 1050/678 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन हुई थी लेकिन आवंटन दिनांक से लेकर आज दिनांक तक वह खसरा नम्बर 1663/618 तादादी 25 बीघा भूमि पर काश्त कर रहा है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 1050/678 की 25 बीघा भूमि की एवज में खसरा नम्बर 1663/618 की तादादी 25 बीघा भूमि के खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

(6) अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06—07—2015 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर